



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं 178 /2024

मेसर्स रवि श्री नारायण ट्रांसपोर्ट, पार्टनरशिप फर्म, एसीसी मेन गेट, जमुल स्क्वायर, जमुल भिलाई (सी. जी.)
पैन-ए. एस. एच. एफ. आर. 7461एफ

--- अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, टीडीएस, आयकर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

के साथ

कर प्रकरण सं 180 /2024

मेसर्स रवि श्री नारायण ट्रांसपोर्ट, पार्टनरशिप फर्म, एसीसी मेन गेट, जमुल स्क्वायर, जमुल भिलाई (सी. जी.)
पैन-ए. एस. एच. एफ. आर. 7461एफ

--- अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, टीडीएस, आयकर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

के साथ

कर प्रकरण सं 181 /2024

मेसर्स रवि श्री नारायण ट्रांसपोर्ट, पार्टनरशिप फर्म, एसीसी मेन गेट, जमुल स्क्वायर, जमुल भिलाई (सी. जी.)
पैन-ए. एस. एच. एफ. आर. 7461एफ

--- अपीलार्थी





बनाम

सहायक आयकर आयुक्त, टी. डी. एस., आयकर भवन, सिविल लाइन्स, रायपुर (सी. जी.)

----- उत्तरवादी

[वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली (सी. आई. एस.) से लिया गया है]

अपीलार्थी हेतु :-- श्री एस. राजेश्वर राव, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :-- श्री अमित चौधरी और श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता।

युगल पीठ :

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

तथा

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

पीठ पर आदेश

(20.03.2025)

श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. इसमें शामिल तथ्य और विधि के प्रश्नों की समानता को ध्यान में रखते हुए तथा आयकर अपीलीय अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में "आईटीएटी") द्वारा समान पक्षों के बीच पारित दिनांक 26.12.2022 के एक समान आदेश से उत्पन्न होने के कारण, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के संयुक्त अनुरोध पर, आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "1961 का अधिनियम") की धारा 260-ए के अंतर्गत दायर ये सभी 03 कर अपीलें एक साथ जोड़ी जाती हैं, एक साथ सुनी जाती हैं तथा इस सामान्य आदेश द्वारा इन सभी अपीलों में इस न्यायालय के दिनांक 13.02.2025 के आदेश द्वारा अलग-अलग तैयार किए गए विधि के निम्नलिखित सामान्य सारवान प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है;

"क्या तीनों प्राधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता पर आरोपित लेनदेन पर टीडीएस के रूप में राशि का भुगतान करने का दायित्व आरोपित करना, उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 के तहत 'चूककर्ता माना गया करदाता' मानते हुए, एक ऐसा निष्कर्ष दर्ज करना जो अभिलेख के विपरीत है, उचित है?"

2. विधि का उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निर्धारण हेतु उत्पन्न होता है:



2.1 कर प्रकरण सं -178-2024 वित्तीय वर्ष 2006-07 से संबंधित है, कर प्रकरण सं-180- 2024 वित्तीय वर्ष 2007-08 से संबंधित है और कर प्रकरण सं-181-2024 वित्तीय वर्ष 2008-09 से संबंधित है। इन सभी कर अपीलों में आम अपीलकर्ता परिवहन व्यवसाय में लगी एक साझेदारी फर्म है। उत्तरवादी - राजस्व प्राधिकारी ने विभिन्न खर्चों पर टीडीएस की कटौती के संबंध में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) अनुपालन का सत्यापन किया है और पाया है कि अपीलकर्ता वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (संक्षेप में "एनबीएफसी") अर्थात्, (i) एसआरईआई इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड, (ii) मैग्मा लीजिंग लिमिटेड और (iii) टाटा मोटर्स लिमिटेड को श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क (धारा 194 सी के तहत) और ब्याज (धारा 194 ए के तहत) के लिए किए गए कुल भुगतानों पर टीडीएस काटने में विफल रहा है।

2.2 परिणामस्वरूप, मूल्यांकन अधिकारी ने 1961 के अधिनियम की धारा 201(1) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 19.03.2010 के तहत अपीलकर्ता को "चूककर्ता माना गया करदाता" मानते हुए, देय टीडीएस [धारा 201(1) के अंतर्गत] ब्याज सहित [धारा 201(1ए) के अंतर्गत] निम्नानुसार निर्धारित किया है:

अपील सं.	वित्तीय वर्ष	धारा 201 के तहत देय टीडीएस 201	धारा 201 (1ए) के तहत देय ब्याज 201(1ए)
कर प्रकरण सं 178-2024	2006-07	रु. 3,75,283/-	रु. 1,65,125 /-
कर प्रकरण सं- 180-2024	2007-08	रु. 3,66,750/-	रु. 1,17,360/ -
कर प्रकरण सं- 181-2024	2008-09	रु. 5,08,853/-	रु. 1,01,771/ -

2.3 कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 19.03.2010 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने आयकर आयुक्त (अपील) [संक्षेप में "सीआईटी (अपील)] के समक्ष 03 अपीलें दायर कीं। 11.02.2020 के आदेश द्वारा, सीआईटी (अपील) ने हालांकि माना कि अपीलकर्ता श्रम शुल्क और परिवहन शुल्क पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और उस सीमा तक मूल्यांकन अधिकारी के 19.03.2010 के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन माना कि अपीलकर्ता 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए के तहत एनबीएफसी को भुगतान किए गए वित्त शुल्क के ब्याज भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है। जिसके खिलाफ, अपीलकर्ता ने विद्वान आईटीएटी, रायपुर के समक्ष 03 अलग-अलग अपीलें पेश कीं, जिसमें सीआईटी (अपील) द्वारा 11.02.2020 को पारित आदेश के उक्त हिस्से पर सवाल उठाया गया, जिसके तहत अपीलकर्ता को 1961 के



अधिनियम की धारा 194 ए के तहत एनबीएफसी को भुगतान किए गए ब्याज/वित्त शुल्क पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। विद्वान आईटीएटी, रायपुर ने सभी 03 अपीलों में पारित अपने अंतिम आदेश दिनांक 26.12.2022 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी और सीआईटी (अपील) द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करते हुए कहा कि अपीलकर्ता कर निर्धारण अधिकारी को यह संतुष्ट करने में विफल रहे कि भुगतान की प्राप्ति उनके द्वारा विधिवत साबित कर दी गई है और वे अपना मामला साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं कि एनबीएफसी को भुगतान किए गए वित्त शुल्क/ब्याज पर कोई टीडीएस उन पर देय नहीं है क्योंकि प्राप्तकर्ताओं ने अपनी पुस्तकों में प्राप्तियों को शामिल कर लिया है और संबंधित आय पर कर का भुगतान कर दिया है और उक्त टीडीएस शुल्क में कटौती करने में विफलता के लिए एक अच्छा और पर्याप्त कारण भी मौजूद है। व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तत्काल 03 अपीलें दायर की हैं, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 26.12.2022 की वैधता, वैधता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया गया है, जिन्हें इस आदेश के कंडिका-1 में संक्षेपित विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई हेतु पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. राजेश्वर राव ने प्रस्तुत किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को अधिनियम 1961 की धारा 201(1) के अंतर्गत "चूककर्ता माना गया करदाता" मानने से पहले, उन्हें अपीलकर्ता को यह संतुष्ट करने का उचित अवसर देना चाहिए था कि करदाता/करदाता द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है और इसी आधार पर, विद्वान सीआईटी (अपील) और विद्वान आईटीएटी, रायपुर ने भी अपीलकर्ता की अपील को खारिज करने में गलती की है। इस प्रकार, नीचे के प्राधिकारियों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेशों को अपास्त किए जाने योग्य हैं और मामले को नए सिरे से विचार के लिए कर निर्धारण अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, ताकि अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जा सके, ताकि वह यह साबित कर सके कि कटौतीकर्ता/करदाता द्वारा कर का भुगतान किया गया है, जिसके अभाव में अपीलकर्ता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि अपीलकर्ता पर भारी कर देयता लगाई गई है/लागू की गई है, जो कानून में अनुचित है। अतः,, सभी अपीलों स्वीकृत होने योग्य हैं।

4. उत्तरवादी -राजस्व प्राधिकारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित चौधरी और श्री अजय कुमरानी ने नीचे के प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह यह स्थापित करता कि उसके द्वारा एनबीएफसी को दिए गए ब्याज/वित्त प्रभार पर टीडीएस 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए के अंतर्गत काटा गया है, जो वे करने में विफल रहे और इसलिए सभी अपीलों खारिज किए जाने योग्य हैं।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।



6. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए के आधार पर एनबीएफसी को दिए गए ब्याज/वित्त प्रभार पर टीडीएस काटना आवश्यक था, ऐसे में, 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

“ 194 उ. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज।---

(1) कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार न हो, जो किसी निवासी को प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय के अलावा ब्याज के रूप में कोई आय देने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी आय को आदाता के खाते में जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से उसका भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उस पर लागू दरों पर आयकर की कटौती करेगा:

** ** ** *

7. इस संबंध में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संक्षेप में "सीबीडीटी") ने भी 1961 के अधिनियम की धारा 201(1) के अंतर्गत कर कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम के संबंध में दिनांक 29.01.1997 को एक निर्देश/परिपत्र संख्या 275/201/95-आईटी(बी) जारी किया है, जो इस प्रकार है:

"बोर्ड का विचार है कि आयकर अधिनियम की धारा 201(1) के अंतर्गत परिकल्पित कोई भी मांग तब तक लागू नहीं की जानी चाहिए, जब तक कर कटौतीकर्ता टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को यह आश्वस्त न कर दे कि कटौतीकर्ता-करदाता द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है।"

8. सीबीडीटी द्वारा जारी दिनांक 29.01.1997 के उपरोक्त परिपत्र को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 1 के मामले में भी नोटिस किया गया है, जिसमें पैरा-10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"10. जैसा भी हो, हमारे विचार से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 275/201/95-आईटी(बी) दिनांक 29.1.1997 को विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। परिपत्र में कहा गया है कि "आयकर अधिनियम की धारा 201(1) के तहत कोई भी मांग तब तक लागू नहीं की जानी चाहिए, जब तक कर कटौतीकर्ता टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को यह संतुष्टि न दे दे कि कटौतीकर्ता-करदाता द्वारा देय कर का भुगतान कर दिया गया है।" हालांकि, इससे आयकर अधिनियम की धारा 201 (1ए) के तहत करों के भुगतान की तिथि तक ब्याज वसूलने की देयता या आयकर अधिनियम की धारा 271सी के तहत जुर्माने की देयता में कोई बदलाव नहीं आएगा। ""

9. हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (पी) लिमिटेड (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान से पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि 1961 के अधिनियम की धारा 201(1) के तहत परिकल्पित मांग को तब लागू किया जाना चाहिए जब कर कटौतीकर्ता टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को संतुष्ट



कर दे कि उस पर देय कर का भुगतान कटौतीकर्ता-करदाता द्वारा कर दिया गया है।वर्तमान मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए के आधार पर अपीलकर्ता को एनबीएफसी को किए गए ब्याज/वित्त प्रभार के भुगतान पर टीडीएस काटना आवश्यक था, लेकिन, स्वीकार्य रूप से, अपीलकर्ता द्वारा इसमें कटौती नहीं की गई है और, परिणामस्वरूप, सीबीडीटी द्वारा 29.01.1997 को जारी परिपत्र लागू होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि 1961 के अधिनियम की धारा 201(1) के तहत परिकल्पित मांग को तब लागू किया जाना चाहिए जब कर कटौतीकर्ता टीडीएस के प्रभारी अधिकारी (मूल्यांकन अधिकारी) को संतुष्ट कर दे कि उस पर देय कर का भुगतान कटौतीकर्ता/करदाता द्वारा कर दिया गया है।निस्संदेह, इस मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा एनबीएफसी को दिए गए ब्याज/वित्त शुल्क पर टीडीएस नहीं काटा गया है और प्रतिवादी-राजस्व ने अपीलकर्ता को “चूककर्ता माना गया करदाता” माना है और इसलिए, 1961 के अधिनियम की धारा 201 के तहत मांग लागू की है।हालांकि, कर निर्धारण अधिकारी को अपीलकर्ता/कर-कटौतीकर्ता को यह संतुष्ट करने और स्थापित करने का अवसर देना आवश्यक था कि कर कटौतीकर्ता/करदाता द्वारा भुगतान किया गया है, क्योंकि, इसके अभाव में, अपीलकर्ता/कर-कटौतीकर्ता कर निर्धारण अधिकारी (टीडीएस के प्रभारी अधिकारी) को यह स्थापित करने में संतुष्ट करने में विफल रहा है कि कर कटौतीकर्ता/करदाता द्वारा भुगतान किया गया है, विशेषकर तब जब अपीलकर्ता/कर-कटौतीकर्ता और एनबीएफसी/कर-कटौतीकर्ता/करदाता दो अलग-अलग संस्थाएं/व्यक्तित्व हैं। इस प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी को 1961 के अधिनियम की धारा 201(1) के तहत देयता लगाने से पहले अपीलकर्ता को अवसर देना चाहिए था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सीधे अपीलकर्ता पर देयता लगाने की मांग की गई है और विद्वान सीआईटी (अपील) और विद्वान आईटीएटी, रायपुर द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है।

10. तदनुसार, कर निर्धारण अधिकारी, सीआईटी (अपील) और विद्वान आईटीएटी, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 23.12.2009, 11.02.2020 और 26.12.2022 के आदेश क्रमशः इस सीमा तक कि अपीलकर्ता वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 194 ए के तहत एनबीएफसी को भुगतान किए गए ब्याज/वित्त शुल्क पर टीडीएस काटने में विफल रहा, को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, मामला इस बिन्दु पर नए सिरे से विचार करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी को भेजा जाता है कि क्या करदाता/कर-कटौतीकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए प्राप्ति को अपने खातों की पुस्तकों में शामिल करके उनके द्वारा प्राप्त राशि पर कर का भुगतान किया है। चूंकि मामला वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 से संबंधित है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी को सुनवाई में तेजी लाने और विधी के अनुसार शीघ्रता से नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, इससे कर-कटौतीकर्ता/कर निर्धारणकर्ता द्वारा करों के भुगतान की तिथि तक अधिनियम 1961 की धारा 201(1ए) के तहत ब्याज वसूलने की देयता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।



11. परिणामस्वरूप, सभी अपीलों को ऊपर दर्शायी गई सीमा तक पक्षकार के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

सही / -
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही / -
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

